FIVE RUPEES FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० -दो।2001 पुनरीक्षण

1- ग्यासीराम आत्मज पन्नालाल
2- सागरीलाल
3- नन्दराम
आत्मजगण पन्नालाल
निवासीगण भिण्ड रोड पोरसा,
जिला मुरैना ------- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदक

अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 192।89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि आवेदक का पोरसा कस्बे में स्थित मकान लगभग 48 वर्ष पुराना है तथा जिस रूप में बना था एवं उपयोग में रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मकान निर्माण के पश्चात उसके उपयोग के अनुरूप व्यपवर्तन।पुन: निर्धारण वर्ष 1972 में ही किया जा चुका था। अनुविभागीय अधिकारी ने नया व्यपवर्तन मानने में गंभीर भूल की थी। ऐसे आदेश को स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
24 JUL 2001

--- 2

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1361-दो/2001 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों अ के हस्ताक्षर
8-10-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 192/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी पोरसा व्दारा सर्वे कमांक 1438/1 के अॅश रकबा 1639 वर्गफुट पर आवेदक व्दारा बिना व्यपवर्तन कराये व्यवसायिक उपयोग में लेने का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पोरसा को दिया। अनुविभागीय अधिकारी पोरसा ने प्रकरण नंबर 257/86-87 अ-2 पंजीबद्ध करके आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया एंव जॉच व सुनवाई कर आदेश दि. 28-11-87 व्दारा आगामी 7 दिवस के भीतर भवन को व्यवसायिक प्रयोग के बदले आवास के प्रयोग में लिया जाने तथा आवेदकगण पर 200/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करने एंव आदेश का उल्लॅघन जारी रखने की दशा में 20/-रू. प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लगाये जाने का निर्णय लिया। इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 23/87-88 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-7-90 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष	

प्र0क01361–दो/2001 निगरानी

अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 192/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–4–2001 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री संतोष बाजपेयी ने तर्क दिये कि पटवारी कस्वा पोरसा की रिपोर्ट असत्य है । भूमि सर्वे नंबर 1438/1 के अॅशभाग 1639 वर्गफुट पर व्यपवर्तन करके व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है वरण मात्र 900 वर्गफुट भूमि का उपयोग किया जाता है भूमि का डायवर्सन वाद में हुआ है पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवेदकगण को बिना प्रमाण के दंडित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

शासन के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी का तर्क है कि पटवारी व्दारा मौके पर नापतौल कर प्रतिवेदन दिया है। अनुविभागीय अधिकारी को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत शासन हित में अधिकार दिये गये हैं कि भूधारक कृषि प्रयोग की भूमि का कृषि से भिन्न आशय का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा यदि वह नियमों का उल्लॅघन करता है, अनुविभागीय अधिकारी धारा 172 के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मॉग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने पटवारी प्रतिवेदन आने पर आवेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है एंव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण व्दारा

उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया है किन्तु वह यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उनके व्दारा सर्वे क्रमांक 1438/1 के अॅश रकबा 1639 वर्गफुट कृषि भूमि को व्यवसायिक प्रयोग में नहीं लिया है, जबकि पटवारी प्रतिवेदन एंव स्थल पर तैयार पंचनामे से उक्त भू भाग को बिना सक्षम अनुमति के आवेदकगण ने कृषि कार्य के बजाय व्यवसायिक प्रयोग में लिया जाना प्रमाणित हुआ है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने प्रकरण क्रमांक 257/86-87 अ-2 में पारित आदेश दिनॉक 28-11-87 से आवेदकगण को दंडित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाये जाने से कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 22-10-01 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 192/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2001 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 192/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-4-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य